



Neutral Citation No. – 2026:AHC:18470

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका - बी संख्या - 2542 वर्ष 2025

रामकृत यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 13 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के वकील	: अतुल यादव, डॉ। विष्णु पांडे, निशीथ यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता
प्रतिवादी के वकील	: सीएससी, शशि रंजन श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति।

1. रिट याचिका खारिज की जाती है।
2. आदेश के लिए, रिट-बी संख्या 2863/2025 (प्रभावती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सचिव, वित्त एवं राजस्व और 12 अन्य) में पारित दिनांक के आदेश देखें।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

28 जनवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"